

मैनुअल - 1
सी.बी.डी.ए. की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

**RULES AND REGULATIONS
OF
Chhattisgarh Biofuel Development Authority (CBDA)**

1.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैः-
- I. आवश्यकतानुसार अनुसंधान हेतु अनुसंधान व विकास की सुविधा जुटाना, लक्ष्यों को पाने के लिये समुचित पौद्योगिकी व विस्तार पैकेज विकसित करना।
 - II. ग्रामीण आय में वृद्धि व महिला सशक्तिकरण करना।
 - III. ग्रामीण रोजगार का निर्माण करना।
 - IV. बायोफ्यूल ऊर्जा के दोहन से अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन करना।
 - V. तैलीय बीजधारी वृक्षों के लिये अनुकूल क्षेत्रों की पहचान कर ऐसे वृक्षों को उगाना व बायोफ्यूल बनाना।
 - VI. राष्ट्र/राज्य की कच्चा तेल (crude Oil) आयात लागत में कमी लाना।
 - VII. जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाना।
 - VIII. वायुमंडल में विषेले उत्सर्जन में कमी लाना, क्योंकि बायोफ्यूल का कम्बस्शन सल्फर के यौगिक पूर्णतः मुक्त रहता है।
 - IX. फौसिल फ्यूल (कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस) के प्रयोग के बदले वृक्षों के बीजों से प्राप्त बायोफ्यूल के प्रयोग से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना।
 - X. फ्यूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं फ्यूल सिक्यूरिटी
 - XI. कार्बन क्रेडिट का अर्जन।

1.2 प्राधिकरण की स्थापना :

यह कि छत्तीसगढ़ में उगन वाली पौधों की कुछ अखाद्य प्रजातियों में नीम, सिमरौबा, करंज, जेट्रोफा, जेजोबा, कोकम, भीकल, कुसुम आदि सम्मिलित है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियां वनों के बाहर भी उपलब्ध हैं, इनके बीजों के मूल्यांकन से यह पाया गया है कि पांगामिया पिन्नाटा (करंज) तथा जेट्रोफा (रजनजोत) के बीजों से बायोडीजल निकालना उपयुक्त है। इन वृक्षों द्वारा धारित बीजों के उत्पादन की राज्य में भारी संभावना है। यद्यपि ऐसे कई कारण हैं जिनमें विस्तृत वन क्षेत्रों में दूर-दूर फैले वृक्षों के बीजों के संग्रहण में कठिनाई होना तथा इस दिशा में संगठित प्रयासों की कमी प्रमुख है, जिसके कारण उपलब्ध बीजों से केवल कुछ ही का संग्रहण हो पाता है। अतः वर्तमान में ऐसे बायोफ्यूल का राज्य में कोई उल्लेखनीय उपयोग नहीं हो पा रहा था।

ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के वृक्षों के रोपण, उनके बीजों के संग्रहण तथा इनसे बायोफ्यूल निकालना व उसके विपणन करने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी समन्वित प्रबंधन व अनुश्रवण की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी।

अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण” (Chhattisgarh Biofuel Development Authority) CBDA नामक एक विशिष्ट प्राधिकरण की दिनांक 26 जनवरी 2005 को स्थापना किया गया।

1.4 प्राधिकरण की गतिविधियाँ—

- I. बायोफ्यूल से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का अनुमोदन
- II. प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न विद्यमान कार्यक्रमों के लिये स्त्रोतों का मूल्यांकन, पहचान व आबंटन करना तथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त स्त्रोतों को संगठित करना।
- III. प्राधिकरण के अनुमोदित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण करना।
- IV. बायोफ्यूल कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन।
- V. सीबीडीए मुख्यालय का पता, दूरभाष, ई—मेल एवं वेबसाइट –

पता—

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए)
क्षी.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट काम्प्लेक्स,
पोस्ट: देवपुरी, जिला: रायपुर—492015 (छ.ग.)

दूरभाष—

9516000801—13

ई—मेल—

cbdaraipur@gmail.com

वेबसाइट—

www.cbda.in

मैनुअल – 2
प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्य

प्राधिकरण की शक्तियों—

- I. प्राधिकरण के अध्यधीन क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न विद्यमान/नये कार्यक्रमों के लिये विभिन्न विभागों में राशि को चिन्हाकिंत करना।
- II. कार्यालयीन भवन, कर्मियों के वेतन, कार्यालयीन उपकरण वाहनों आदि के लिये राशि चिन्हाकिंत कर उपलब्ध कराना। यदि आवश्यक हो तो राशि ऊर्जा विकास उपकर निधि से आबंटित की जा सकेगी।
- III. माननीय मुख्यमंत्रीजी के मार्गदर्शन व निरीक्षण के अध्यधीन रहते हुये कर्मियों व कार्यक्रमों /परियोजनाओं को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृतियों प्रदान करना।
- IV. अनुसंधान सहित प्राधिकरण के सभी गतिविधियों की पहचान, क्रियान्वयन व अनुश्रवण के लिये समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
- V. विशेष उद्देश्यों व परियोजनाओं के लिये परामर्शदाता नियुक्त करना।

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर कार्यालय में पदस्थ कार्यपालिक निदेशक की कार्य निम्नानुसार है :-

कार्यपालिक निदेशक, सीबीडीए निम्न कार्य करने के लिये सक्षम होगा—

- I. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, कार्यक्रमों, प्रस्तावों के संबंध में स्वीकृतियों/आदेश जारी करना।
- II. विभिन्न शासकीय विभागों से प्राधिकरण के लिये आवश्यक सहयोग व सूचना प्राप्त करना।
- III. कार्यपालिक निदेशक द्वारा प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति किये जाने वाले कार्यों तथा इन सभी के लिये समय सीमा आदि निर्धारित करने से संबंधी दस्तावेज तैयार किये जायेंगे।
- IV. प्राधिकरण द्वारा नियुक्त आवश्यक कर्मियों का प्रकोष्ठ कार्यपालिक निदेशक की सहायता करेगा।

निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली ।

- प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन नियमों के अध्याधीन रहते हुए गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं ।
- सनियंत्रण एवं जवाबदेही की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था है:-
 - मैदानी अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय को सामग्री क्रय के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करना, जिसमें आवश्यक सामग्री व उपलब्ध सामग्री का विवरण हो। इसी तरह बायोडीजिल संयंत्र के ऑपरेटर द्वारा बीज तथा अन्य सामग्री का क्रय के लिये संयंत्र प्रबंधक को मांगपत्र प्रस्तुत करना तथा तैयार किये गये उत्पाद के विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्रीयों का विवरण समय-समय पर संयंत्र प्रबंधक को प्रस्तुत करना।
 - प्रस्ताव तथा मांगपत्र के परीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
 - नियमानुसार निविदाओं का आमंत्रण व क्रय/विक्रय समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत निविदाओं का परीक्षण कर आदेश जारी करना।
 - सामग्रीयों का भौतिक तथा तकनीकी रूप से निरीक्षण उपरांत सत्यापन किया जाना ।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये
बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु जनता या जनप्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के साथ प्रतिवर्ष एक या इससे अधिक कार्यशाला का आयोजन कर भविष्य के कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा कर बायोफ्यूल कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बायोफ्यूल कार्यक्रम के विस्तार के लिये ग्रामीण तथा इनके द्वार चुने गये सरपंच के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है एवं उनसे मिले सुझावों को अगले वर्ष के कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।

कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम एवं अभिलेख

सीबीडीए द्वारा कृत्य के निर्वहन के लिये राज्य शासन में लागू सभी नियम का अनुपालन किया जाता है। समय-समय पर राज्य शासन के ऊर्जा विभाग से प्राप्त निर्देशों को अपने नियम एवं अभिलेखों में शामिल कर लिया जाता है।

मैनुअल - 6

विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची

कार्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को सूचीबद्ध किया गया है एवं सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अभिलेखों की सूची अद्यतन की जाती है।

मैनुअल - 7

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्व साधारण जनता से सलाह-मशविरा करने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख ।

आवश्यकतानुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा उपरांत कार्यप्रणाली का प्रारूप तैयार कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

मैनुअल - 8

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

सी.बी.डी.ए. से कोई भी बोर्ड, परिषदों, समितियों या अन्य निकाय संबंध नहीं है।

मैनुअल - 9
मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री अंकित आनंद, IAS	कार्यपालिक निदेशक	0771	2574200	94077— 48805		cbdaraipur@ gmail.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लाट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर, चिन 492015
2.	श्री सुमीत सरकार	परियोजना अधिकारी	तदैव	9516000808	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
3.	श्री विशाल खरे	तकनीकी अधिकारी	तदैव	9516000809	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
4.	श्री लव त्यागी	तकनीकी अधिकारी	तदैव	9516000807	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
5.	श्री रमेश मेन्डेकर	निज सचिव सह विपणन अधिकारी	तदैव	9516000810	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
6.	श्रीमती अंजली जोगदंड	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तदैव	9516000811	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
7.	श्री रंजीत सोनी	निज सहायक	तदैव	9516000802	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
8.	श्रीमती छायाकिरण शर्मा	कंप्यूटर ऑपरेटर	तदैव	9516000805	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
9.	श्रीमती ज्योति खापरडे	कनिष्ठ सहायक	तदैव	9516000805	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति (राज्य शासन द्वारा जारी किये गये सातवाँ वेतनमान अनुसार वेतन-मैट्रिक्स के तहत् लेबल)
1.	श्री सुमीत सरकार	परियोजना अधिकारी	14
2.	डॉ. प्रिती कौर	प्रिसिंपल साइंटिफिक ऑफिसर (प्रतिनियुक्ति पर भारत शासन में पदस्थ)	13
3.	श्री विशाल खरे	तकनीकी अधिकारी	12
4.	श्री लव त्यागी	तकनीकी अधिकारी	12
5.	श्री संतोष मैत्री	तकनीकी अधिकारी	12
6.	श्री राजेश चौधरी	निज सचिव (प्रतिनियुक्ति पर राजभवन छत्तीसगढ़ राजभवन में पदस्थ)	12
7.	श्री रमेश मेन्डेकर	निज सचिव	12
8.	श्री राम नरेश निगम	सहा.कंप्यूटर प्रोग्रामर	09
9.	श्री रंजीत कुमार सोनी	निज सहायक	09
10.	श्रीमती अंजली जोगदंड	सहा. लेखाधिकारी	08
11.	श्रीमती वर्षा साव	प्लांट सुपरवाईजर	08
12.	कु. मंजीता सिंह	कंप्यूटर ऑपरेटर	07
13.	श्रीमती छायाकिरण शर्मा	कंप्यूटर ऑपरेटर	07
14.	श्री समय लाल कांछी	मैकेनिक	06
15.	श्री रंजीत सिंह	प्लांट आपरेटर	06
16.	श्री पूर्णचन्द्र साहू	सहायक आपरेटर	04
17.	श्री चुमन लाल साहू	वाहन चालक	04
18.	श्री दिलीप मिश्रा	वाहन चालक	04
19.	श्री विनोद कुमार पुरैना	वाहन चालक	04
20.	श्री गोविंद सूर्यवंशी	कनिष्ठ सहायक	04
21.	श्रीमती ज्योति खापरडे	कनिष्ठ सहायक	04
22.	श्री हिमांशु तिवारी	कनिष्ठ सहायक	04
23.	श्री नरेन्द्र ठाकुर	कनिष्ठ सहायक	04
24.	श्री लक्ष्मी नारायण सोनी	भृत्य	01
25.	श्री द्वारिका प्रसाद साहू	भृत्य	01

26.	श्री सुनील यादव	भृत्य	01
27.	श्री कन्हैया लाल यादव	भृत्य	01
28.	श्री जगेश्वर ध्रुव	भृत्य	01
29.	श्री रामभरोस साहू	भृत्य	01
30.	श्री राजेन्द्र नामदेव	भृत्य	01
31.	श्री योगेश यादव	भृत्य (संविदा)	शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन
32.	श्रीमती पांचो सोनकर	भृत्य (संविदा)	शासन द्वारा निर्धारित संविदा वेतन
33.	श्री रितेश सोने	भृत्य (दैनिक वेतनभोगी)	जिला कलेक्टर दर पर

मैनुअल - 11
प्रत्येक अधिकरण को आबंटित बजट

वर्ष 2004-05 में इस प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 26.01.2005 को राज्य शासन द्वारा की गई है। स्थापना उपरांत आज दिनांक तक निम्नानुसार राशि प्राधिकरण को आबंटित की गई है :-

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ में)
2004-05	निरंक
2005-06	11.96
2006-07	15.00
2007-08	15.00
2008-09	निरंक
2009-10	निरंक
2010-11	निरंक
2011-12	निरंक
2012-13	निरंक
2013-14	निरंक
2014-15	निरंक
2015-16	निरंक
2016-17	0.10

मैनुअल – 12
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों के पूर्ति के लिये शासन से प्राप्त अनुदान/राज्य सहायता के उपयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीत है।

मैनुअल - 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई रियायत प्रदाय नहीं किया जाता है।

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित सूचनायें प्राधिकरण की वेबसाईट www.cbda.in में उपलब्ध कराये गये हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

प्राधिकरण के कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिये निम्नांकित स्त्रोतों का उपयोग किया जा रहा है :-

- ग्रामीण स्तर पर समय-समय पर ग्रामीण हितग्राही के साथ बैठक का आयोजन।
- हिन्दी समाचार-पत्रों में प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में जानकारी का निरंतर प्रकाशन।
- हिन्दी में पाम्पलेट/पोस्टर का प्रकाशन।
- बीज संग्रहण हेतु ग्रामीण स्तर पर हाट बाजारों में प्रचार-प्रसार।
- कौशल विकास में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को बायोपयूल कार्यक्रम में जोड़ना।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां

लोक प्राधिकरण का नाम : छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.स.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1.	श्री सुमित सरकार	परियोजना अधिकारी	0771	9516000808	-	cbdaraipur @gmail.c om	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र.. स.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1.	श्री विशाल खरे	तकनीकी अधिकारी	0771	9516000809		cbdaraipur @gmail. com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

विभागीय अपीलेट अथोरिटी :

क्र.स.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1.	श्री अंकित आनंद, IAS	कार्यपालिक निदेशक	0771	2574200		cbdaraip ur@gma il.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

- विगत् वर्ष 2016 (मई-25,26) राष्ट्रीय बायोफ्यूल कार्यशाला रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सह देश के विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए।
- उक्त कार्यशाला में गहन अध्ययन पश्चात् राष्ट्रीय बायोफ्यूल रोड़मैप तैयार कर केन्द्र शासन को प्रेषित किया गया।
- नियमित रूप से स्थानीय इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र-छात्राओं को बायोडीजिल का शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन कर उन्हें परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है।
- प्रदेश में दो स्थानों पर बायोफ्यूल कॉफ्लेक्स स्थापना हेतु 110 करोड़ रूपये का निजि निवेशकों से अनुबंध किया गया।
- जनवरी-2017 में CSIR की भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ बायोफ्यूल आधारित हवाई जहाज के ईंधन बनाने हेतु मुख्यमंत्रीजी के समक्ष एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कार्य जारी है।
- सीबीडीए के पहल के कारण वर्ष-2017 से वन विभाग द्वारा समस्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में न्यूनतम 20 प्रतिशत अखाद्य तेलीय बीज वाले वृक्ष जैसे-कुसुम, नीम आदि का वृक्षारोपण कराये जाने पर सहमति व्यक्त किया गया है।
- विगत् 18 महीने में 600 टन से ज्यादा अखाद्य तेलीय बीज का संग्रहण कर पिराई किया गया।
- लगभग 75 हजार लि. सेमिफिनिस्ड बायोफ्यूल का विक्रय किया गया।
- लगभग 75 हजार कि.ग्रा. रत्नजोत जैविक खाद का विक्रय किया गया।
- प्राधिकरण के लगातार पहल के कारण भारत सरकार ने दिनांक 07.08.2017 को राजपत्र का प्रकाशन कर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जैव ईंधनों के संबंध में समग्र समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।